राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 12619/2018

दुली चंद शर्मा पुत्र श्री कल्याणमल शर्मा, उम्र लगभग 66 वर्ष, सी 22, जोहिया मार्केट, कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर। (राजकीय डूंगर कॉलेज, बीकानेर में संस्कृत के व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एम.एस. गोदारा
श्री विजय कुमार

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री ललित पारीक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

16/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड का लाभ प्रदान करें, साथ ही याचिकाकर्ता को पेंशन में संशोधन सहित सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं। वह राम कृष्ण अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के साथ-साथ डॉ. स्नेह सैवाल (उपरोक्त) के मामले पर भी भरोसा करता है।

2. याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1977 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (जिसे आगे "आयोग" कहा जाएगा) द्वारा विधिवत

चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अथवा शैक्षणिक सत्र के अंत तक अथवा नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक अस्थायी आधार पर राजस्थान शैक्षिक सेवा (शाखा) में संस्कृत के व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था।

2.1. दिनांक 05.04.1995 की अधिसूचना, जो 17.04.1995 को प्रकाशित हुई, द्वारा राजस्थान शैक्षिक सेवा (कॉलेजिएट शाखा) नियम, 1986 में किए गए संशोधन के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाएं नियमित कर दी गई।

तथापि, उन्हें दिनांक 24.03.1990 के आदेश के अनुसार व्याख्याता संवर्ग में वरिष्ठ वेतनमान का लाभ नियमितीकरण की तिथि से दिया गया था, न कि प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से।

2.2. नियमितीकरण से पूर्व की गई सेवा की गणना के संबंध में विवाद डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या 90/2004 (डॉ. स्नेह साईवाल बनाम राजस्थान राज्य) में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आया तथा इस न्यायालय की खंडपीठ ने डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या 999/2001 (राजस्थान राज्य बनाम राम कृष्ण अग्रवाल) में इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2004 के आलोक में प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ताओं द्वारा उसमें की गई सेवा की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से करें, जिससे वे सभी परिणामी लाभों के साथ कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा में बने रहे हैं। इस न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुसरण में, उसमें रिट याचिकाकर्ताओं को लाभ प्रदान किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने डॉ. स्नेह साईवाल (उपरोक्त) तथा राम कृष्ण अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का लाभ दिए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया गया। इसलिए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. जवाब में बचाव पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य सही नहीं हैं। याचिकाकर्ता को वास्तव में आरपीएससी द्वारा दिनांक 05.08.1982 के आदेश के तहत नियमित चयन के माध्यम से नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 14.08.1982 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, रिकॉर्ड के विपरीत, याचिकाकर्ता ने हलफनामे में दावा किया है कि उसकी सेवाओं को दिनांक 05.04.1995 की अधिसूचना के तहत नियमित किया गया था। सीएएस योजना 01.01.1986 से लागू हुई।

3.1 इस प्रकार याचिकाकर्ता को वरिष्ठ चयन वेतनमान का लाभ क्रमशः 14.08.1989 और 14.08.1995 को प्रदान किया गया।

4. मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. उत्तर में दिए गए तथ्यों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के बराबर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठ वेतनमान और चयन ग्रेड का लाभ नहीं दिया गया, जिनकी सेवाओं को बाद में नियमित कर दिया गया था, इसका एकमात्र कारण यह है कि उसने सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। वह सफल रहा, जबकि उसके समकक्ष पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से सेवा में बने रहे। कम से कम, इस तरह के भ्रामक और तुच्छ आधारों पर लाभ से इनकार करने का प्रतिवादियों का आचरण निंदनीय है। जो लोग सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे, उन्होंने याचिकाकर्ता पर बढ़त हासिल कर ली है, जो कहीं अधिक सक्षम था और प्रतिस्पर्धा करने के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से चुना गया था। और फिर भी, उसे उसकी पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया गया है।

6. इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता इतना प्रतिभाशाली नहीं होता कि उसे सीधी भर्ती से चुना जाता और वह अपने समकक्षों के साथ काम करता, तो उसे 05.04.1995 की अधिसूचना के अनुसार बेहतर लाभ मिलता, जिसके अनुसार डॉ. स्नेह साईवाल बनाम राजस्थान राज्य: डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या 90/2004 में दिए गए निर्णय के आधार पर नियमितीकरण से पूर्व की सेवा का लाभ उसके समकक्षों को प्रदान किया गया था।

7. इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डॉ. स्नेह साईवाल (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय की प्रासंगिकता इस प्रकार है:-

> "हमने ऊपर उल्लिखित निर्णय का अवलोकन किया है। हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं का मामला उक्त निर्णय के अंतर्गत आता है। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि एक बार जब कोई मामला न्यायिक रूप से तय हो जाता है, तो सरकार को मामले को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि इससे पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने का आभास हो। उपनिरीक्षक रूपलाल बनाम उपराज्यपाल (2000) 1 एससीसी-644 : मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड बनाम चंडीलाल साहा (1991 सप (2) एससीसी 465 में दिए गए निर्णय; और दिल्ली के

उपराज्यपाल बनाम धर्मपाल (1990) 4 एससीसी 13 में दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त के मद्देनजर, विशेष अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 9.1.2004 के आदेश को रद्द किया जाता है और उसे अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ताओं द्वारा की गई सेवा को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिनें, जिसके बाद से वे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठ स्केल और चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा में बने रहे हैं। उन्हें परिणामी लाभ भी दिए जा सकते हैं।"

8. अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता ने सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की होती और उसका चयन नहीं हुआ होता, तो उस स्थिति में उसकी सेवाएँ भी उसके समकक्षों के समान नियमित की जातीं। उपर्युक्त के मद्देनजर, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता के साथ उसके समकक्षों से भी बुरा व्यवहार क्यों किया जाए और उसके साथ उन समकक्षों के समान व्यवहार क्यों न किया जाए जिनकी सेवाएँ नियमित की गई थीं।

9. याचिका को आगे आने वाले परिणामों के साथ स्वीकार किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।